तारीख हुक्म	वाद संख्या 104/2012 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मोहन V/s कैलाश वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/11/24	पत्रावली पेश हुई। वादी- वादी अधि॰ अनुपस्थित। वादी एवं वादी अधिवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगवाई गई। परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। प्रतिवादी। प्रतिवादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर के खसरा नं॰ 5728 रकबा 0.1265 है॰ (10 बीस्वा) की सम्वत 2069-73 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2021 से स्वाई) की प्रति पेश की। शामिल मिसल की गई। राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर का खसरा नं॰ 5728 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज नहीं होकर दीगर व्यक्तियों के नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि की वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड (जमाबंदी) सम्वत 2065-68 का अवलोकन किया गया। राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार ग्राम पुर के खसरा नं- 5728 में वादीगण का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 2/3 हिस्सा दर्ज रेकॉर्ड है। वर्तमान रेकॉर्ड अनुसार वादी- प्रतिवादी द्वारा भूमि का बेचान दीगर व्यक्तियों को कर दिया गया है तथा वादी द्वारा क्रेताओं को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है। इससे यह प्रथमदृष्टया प्रमाणित होता है कि वादीगण वाद पत्र चलाने के इच्छुक नहीं है। वादी। वादी अधिवक्ता को नियमानुसार 3 बार आवाजें लगवाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आने से वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल	

दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा